

प्रेषक,

ओकार नाथ आर्य,
उप सचिव,

सेवा मे.

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली - 1100921

पटना, दिनांक - 22/06/10

विषय ओमेगा मिशन स्कूल, नवाब नगर, न्यू तारा चक, दानापुर कैन्ट, पटना को
अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

नहाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना सं0 - 238 दिनांक - 03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा ओमेगा मिशन स्कूल, नवाब नगर, न्यू तारा चक, दानापुर कैन्ट, पटना को सी0धी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त रिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय नवाब सिंह ऐजुकेशन ट्रस्ट के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एज़ डिक्टि / परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाईटी के प्रत्येक सदस्य के बौरा दिया गया है तथा सप्त पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय न किसी निबंधित सोसाईटी / न्यास के फ़ैन्वाईजी अथवा किसी विद्यालय के बाड़ नैम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को सी0धी0एस0ई0 के मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं।
4. विद्यालय में शिक्षक कि नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रतिरुद्ध नहीं किया गया है। जिससे यह रणनीति हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता वर्ती गयी हो। विद्यालय में 16 शिक्षक हैं। सी0धी0एस0ई0 नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करें। इससे सी0धी0एस0ई0 नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना सं0 - 238 दिनांक - 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोश में निवास करने वाले बच्चों का शुल्क किया जाएगा तथा उनसे दृश्यान् शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनु0जाति, अनु0जनजाति, पिछड़ा